राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक प. 3(313)नविवि/3/2011पार्ट जयपुर, दिनांक 22 OCT 2021

सचिव
जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण
जयपुर/जोधपुर/अजमेर

सचिव,
राजस्थान आवासन मण्डल
राजस्थान, जयपुर।

सचिव
नगर विकास न्यास
समस्त.....।

विषयः— **The Rajasthan Urban Areas (Permission for use of Agricultural Land for Non-Agricultural Purposes and Allotment) Rules, 2012** के नियम 11(3) एवं 19(1) के तहत मूल खातेदार/ भू–स्वामी द्वारा **Transferee/Assignee** के पक्ष में निष्पादित दस्तावेजों यथा प्रोविजनल आवंटन पत्र या नोमिनेशन पत्र या सहमति पत्र या परिशिष्ट–द पर देय स्टाम्प ड्यूटी के संबंध में।

संदर्भः— वित्त विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक **F.2(7)FD/Tax/2021-55** दिनांक 30.09.2021

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत वित्त विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक F.2(7)FD/Tax/2021-55 दिनांक 30.09.2021 के क्रम में स्पष्ट किया जाता है कि The Rajasthan Urban Areas (Permission for use of Agricultural Land for Non-Agricultural Purposes and Allotment) Rules, 2012 के नियम 11(3) एवं 19(1) के तहत मूल खातेदार/ भू–स्वामी द्वारा स्वयं पट्टा नहीं लेकर अपने Transferee/Assignee को पट्टा लेने हेतु अधिकृत करने के लिए निष्पादित दस्तावेज यथा–प्रोविजनल आवंटन पत्र या नोमिनेशन पत्र या सहमति पत्र या परिशिष्ट–द के दस्तावेजों की निम्नानुसार दो श्रेणियां निर्धारित करते हुए स्टाम्प ड्यूटी की रियायत दी गई है:—

	जहां राजस्थान टाऊनशिप पॉलिसी, 2010 के तहत स्वीकृत एक प्रोजेक्ट/परियोजना में एक विकासकर्ता द्वारा अपने स्वामित्व के भूखण्ड को विकसित कर आगे एक से अधिक व्यक्तियों के पक्ष में प्रोविजनल आवंटन पत्र या परिशिष्ट–द जारी करता है और ऐसे आवंटन पत्र या परिशिष्ट–द के आधार पर आवंटी द्वारा स्थानीय निकाय से पट्टा प्राप्त किया जाता है।	प्रत्येक प्रोविजनल आवंटन पत्र या नोमिनेशन पत्र या सहमति पत्र या परिशिष्ट–द पर 500/– रू. स्टाम्प ड्यूटी देय होगी।

Scanned with CamScanner

	जहॉ कोई प्रोजेक्ट या परियोजना राजस्थान टाऊनशिप पॉलिसी, 2010 के अधीन स्वीकृत/अनुमोदित नहीं है उन मामलों में Transferee/Assignee के पक्ष में निष्पादित प्रोविजनल आवंटन पत्र या नोमिनेशन पत्र या सहमति पत्र या परिशिष्ट–द पर	प्रत्येक प्रोविजनल आवंटन पत्र या नोमिनेशन पत्र या सहमति पत्र या परिशिष्ट–द पर पट्टे की प्रतिफल राशि पर 2 प्रतिशत की दर से स्टाम्प ड्यूटी देय होगी लेकिन न्यूनतम स्टाम्प ड्यूटी 500/– रूपये होगी।

अतः उपरोक्तानुसार लम्बित प्रकरणों का निस्तारण किया जाना सुनिश्चित करावें।

भवदीय

(मनीष गोयल)
संयुक्त शासन सचिव–प्रथम
22 OCT 2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग, राज. सरकार।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
5. निदेशक, स्थनीय निकाय विभाग को इस संबधं में समस्त नगरीय निकायों को निर्देशित किये जाने हेतु।
6. संयुक्त शासन सचिव–प्रथम/द्वितीय/तृतीय, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
7. उप विधि परामर्शी, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
8. उप नगर नियोजक, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
9. वरिष्ठ शासन उप सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, जयपुर।
10. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव–प्रथम

Scanned with CamScanner